न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 105 / 2019 दायर दिनांक 19.12.2019

उनवान

1. नारायण पिता काशीराम (कासीया) खटीक, आयु वयस्क निवासी कीरखेड़ा (भगवतपुरा), तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. मु० कला पिता काशीराम (कासीया) खटीक, आयु वयस्क निवासी कीरखेड़ा (भगवतपुरा), तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— वादीगण

बनाम

1. नारायण पिता हजारी खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. मु0 केसर पुत्री हजारी खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
3. मु0 प्रेम पुत्री हजारी खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
4. मु0 पारस पुत्री हजारी खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
5. मु0 शान्ति पुत्री हजारी खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
6. मु० भगवानी विधवा हजारी खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
7. मु० भेरी पुत्री दला खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
8. मु0 नंदू पुत्री दला खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
9. मु0 तुलसी (लछी) पुत्री दला खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
10. मु० कला पुत्री दला खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
11. मु0 जमनी पुत्री दला खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
12. मु० सुवागी विधवा दला खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
13. उदल (उदय लाल) पिता डालू (डालचंद) खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ।
14. कमलेश पिता डालू (डालचंद) खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
15. कैलाश पिता डालू (डालचंद) खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
16. मु0 प्रिंयका पुत्री डालू (डालचंद) खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
17. मु0 देऊ विधवा डालू (डालचंद) खटीक, आयु वयस्क हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

18.पूरण पिता गोरधन खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

19.मुकेश पिता गोरधन खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

20.दिनेश पिता गोरधन खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

21.सागर पिता गोरधन खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

22.मु0 ललिता पुत्री गोरधन खटीक, आयु वयस्क, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

23.मु0 बरदी बाई विधवा गोरधन खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

24.जगदीश पिता तेजा खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना हाल मुकाम गोयल हास्पीटल के पास, कपासन तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

25.भैरूलाल पिता तेजा खटीक, आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

26.मु० पारस पुत्री तेजा पत्नी बालुराम खटीक निवासी घोसुण्डा तहसील चितौड़गढ़ जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

27.मु0 मंजू बाई विधवा मदन लाल पिता तेजा खटीक, निवासी हथियाना तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

28.मु० अंजली पुत्री मदन लाल खटीक नाबालिग बविलायत माता मंजू बाई खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

29.मु० डिम्पल पुत्री मदन लाल खटीक नाबालिग बविलायत माता मंजू बाई खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

30.मु0 मानसी पुत्री मदन लाल खटीक नाबालिग बविलायत माता मंजू बाई खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

31.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 14.12.2022

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88—89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि यह कि ग्राम हथियाना तहसील कपासन में साबीक पैमायश की खाता नम्बर 35 में आराजी नम्बर 1027 रकबा 5 बिघा 3 बिस्वा 1029 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1030/1 रकबा 4 बिघा 18 बिस्वा, 1031 रकबा 5 बिघा 13 बिस्वा, 1053/1 रकबा 1 बिघा कुल किता 5 कुल रकबा 17 बिघा 16 बिस्वा स्थित थी जो राजस्व रेकॉर्ड में भुरा, तोलीया (तोलू), हजारी, दला, कासीया पिता रामा खटीक, निवासी हथियाना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी व प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था । ताईद में जमाबंदी संवत् 2011 से 2014 की प्रमाणित प्रति पेश है।

यह कि इसी प्रकार ग्राम हथियाना तहसील कपासन की साबीक पैमायश की आराजी नम्बर 1003 मीन रकबा 4 बिस्वा (डोरी ओड़ी), 1029 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा स्थित थी जो भी भुरा, तोलीया, हजारी, दला कासीया पिता रामा खटीक, निवासी हथियाना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था। यह कि उक्त खातेदारों में से तोलीया (तोलू) लाऔलाद फौत हो गया और उक्त आराजीयात के बाकी भाई खातेदार भुरा, हजारी, दला, कासीया (काशीराम) का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त खातेदारों में से भुरा पिता रामा फौत हो गये और उनके वारीस पुत्र होकमा व तेजा थें मगर भुरा की आराजीयात बड़े पुत्र होकमा के नाम पर दर्ज हो गई और फिर होकमा ने अपना हिस्सा अपने भाई तेजा को दे दिया । तेजा जी की भी मृत्यु हो गई व उसके वारीस पुत्र जगदीश, भैरू, मदन लाल (प्रतिवादी नम्बर 24, 25, 26) एवं पुत्री मु० पारस थे और इनमें से मदन लाल की भी मृत्यु हो गई और उसके वारीस मु0 मंजु बाई (विधवा) व पुत्रियों अंजली, डिम्पल व मानसी है जो प्रतिवादी नं० 27, 28, 29, 30 बनाये गये है और इनमें से प्रतिवादी नम्बर 28, 29, 30 नाबालिग है और उनकी माता मु० मंजु बाई के संरक्षण में है।

यह कि इसी प्रकार हजारी पिता रामा भी फौत हो गये और उनके वारीस प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक है। तथा दला पिता रामा की भी मृत्यु हो गई और उनके वारीस प्रतिवादी नम्बर 7 से 12 तक है और इनके अलावा दला के दो पुत्र डालु व गोरधन थे जिनकी भी मृत्यु हो गई और डालु के वारीस प्रतिवादी नम्बर 13 से 17 तक है और गोरधन के वारीस प्रतिवादी नम्बर 18 से 23 तक है । राजस्व रेकॉर्ड में हजारी पिता रामा के वारीस प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक के अलावा पुनीया पुत्री हजारी का नाम अंकित है मगर इस नाम की हजारी के कोई पुत्री नहीं है और यह नाम गलत दर्ज हुआ है।

यह कि संवत् 2014 के बाद पैमायश में जमाबंदी का जो अंकन किया गया उसमें रामा के पुत्र कासीया (काशीराम) के बाहर मजदूरी पर चले जाने से उसका नाम राजस्व रेकॉर्ड में से गलती से हट गया व कुलिया उपरोक्त वादपत्र की कलम नम्बर 1, 2 में दर्ज आराजीयात मृतक होकमा, हजारी, दला के नाम पर दर्ज हो गई और उक्त आराजीयात के नये नम्बर कायम हो गये और विभाजन से उक्त होकमा, हजारी, दला के नाम पर उक्त आराजियात पृथक पृथक अंकित कर दी गई जिसके प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 संलग्न है जिसमें आराजीयात का विवरण इस प्रकार है –

– खाता नम्बर 68 में होकमा पिता भूरा खटीक के खातेदारी की आराजी नम्बर 1191 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा, 1195 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा, 1198 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा, 1201 रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा, 1202 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बिघा 16 बिस्वा है।

– खाता नम्बर 65 में हजारी पिता रामा खटीक, के खातेदारी की आराजी नम्बर 1193 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा, 1194 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, 1199 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बिघा 14 बिस्वा स्थित है।

– खाता नं0 47 में दला पिता रामा खटीक के खातेदारी की आराजी नम्बर 1192 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1196 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, 1197 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा, 1200 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बिगा 2 बिस्वा है।

– खाता नम्बर 66 में हजारी, दला पिता रामा एवं होकमा पिता भुरा खटीक के संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1190 रकबा 4 बिस्वा, 1203 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा स्थित है और प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है।

यह कि उक्त आराजियात में से होकमा ने अपना हिस्सा अपने भाई तेजा को दे दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीस प्रतिवादी नम्बर 24 से 30 तक के नाम पर दर्ज है । और इसी प्रकार हजारी जी की मृत्यु के बाद उसकी आराजीयात उनके वारीस प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक के नाम पर दर्ज है और दला जी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारीस प्रतिवादी नम्बर 7 से 23 तक के नाम पर दर्ज है और रामा जी के एक अन्य पुत्र कासीया (काशीराम) जिसका नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया उसकी भी मृत्यु हो गई और वादीगण नारायण (पुत्र), मु० कला (पुत्री) उनके वारीस है।

Signature Not Verified

यह कि उक्त आराजीयात के हाल पैमायश में पुनः [illegible] कायम हुए व उक्त आराजियात हथियाना के मजरा ग्राम कीरखेड़ा उर्फ [illegible] उसके अनुसार जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में उक्त आराजीयात का अंकन इस प्रकार है –

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

– खाता नम्बर 102 में प्रतिवादी नम्बर 24 से 30 [illegible] के खातेदारी की आराजीयात नम्बर 2313 रकबा 0.21 हेक्टर, 2314 रकबा 0.27, 2315 रकबा 0.20, 2331 रकबा 0.14, 2336 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.12, 2337 रकबा 0.21, 2342 रकबा 0.16, 2343 रकबा 0.14, 2347 रकबा 0.11 हेक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.56 हेक्टर स्थित है उक्त खाते में इनकी आराजी नम्बर 2329 रकबा 0.93 हेक्टर तन्हा क्रयशुदा है व वादवर्णित नहीं होने से सम्मिलित नहीं किया है।

– खाता नम्बर 86 में प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक के खातेदारी की आराजियात नम्बर 2334 रकबा 0.22, 2335 रकबा 0.42, 2344 रकबा 0.39, 2345 रकबा 0.17 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 हेक्टर स्थित है।

– खाता नं० 13 में प्रतिवादी नं0 7 से 23 तक के खातेदारी की आराजियात नम्बर 2332 रकबा 0.16, 2333 रकबा 0.08, 2338 रकबा 0.08, 2339 रकबा 0.35, 2340 रकबा 0.11, 2341 रकबा 0.06, 2346 रकबा 0.26, 2525 रकबा 0.41 कुल किता 8 कुल रकबा 1.51 हेक्टर स्थित है। उक्त खाते में आराजी नम्बर 2318 2319, 2320, इनकी निजी कय शुदा होने से व वादवर्णित नहीं होने से सम्मिलित नहीं किया है।

– खाता नम्बर 162 में प्रतिवादी नम्बर 1 से 30 तक के संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 2312 रकबा 0.23, 2317 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हेक्टर दर्ज है। इसमें राजस्व रेकार्ड में खातेदार मदन लाल पिता तेजा का नाम दर्ज है। मगर उसकी मृत्यु हो गई है तथा उसके वारीस प्रतिवादी नम्बर 27, 28, 29, 30 को पक्षकार बनाया है।

यह कि इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड ग्राम कीरखेड़ा उर्फ भगवतनगर में स्थित खाता नम्बर 102, 86, 13, 162 में दर्ज आराजियात मृतक भुरा, हजारी, दला, कासीया (काशीराम) पिता रामा खटीक, निवासी हथियाना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी और इनकी मृत्यु के बाद इनके वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है और प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है मगर राजस्व रेकॉर्ड में गलती से वादीगण के पिता कासीया (काशीराम) पिता रामा खटीक का नाम दर्ज होने से रह गया है जो गलत है अतः उक्त आराजियात में कासीया (काशीराम) के वारीस वादीगण का 1/4 हिस्सा है इस आशय की घोषणा किया जाना व राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है और इस हेतु यह वादपत्र पेश है।
यह कि उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द करना व हस्तान्तरण करना चाहते है जो गलत है और ऐसा होने पर वादीगण के हक हिस्से पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा व पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा हो जायेगें जिनकी क्षतिपूर्ति की जाना संभव नहीं होगा नहीं होगा अतः जरिये निषेधाज्ञा उक्त प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त राजस्व रेकार्ड का इन्द्राज दुररूस्त कराने हेतु कहा तो टालमबाजी करते है अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 1/12/2019 से है व निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि –
– वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कालम नम्बर 1,2 में वर्णित आराजीयात जिनके हाल पैमायश में नये नम्बर अंकित हुए है और उनको वादपत्र की कॉलम नम्बर 8 में दर्ज किया है वह वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 से 30 तक की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड का ईन्द्राज गलत है अतः इसको दुरूस्त किया जाकर कुलिया आराजियात पुनः संयुक्त खातेदारी की घोषित की जावें व वादीगण का 1/4 प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक का 1/4 प्रतिवादी नम्बर 7 से 23 तक का 1/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 24 से 30 तक का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन किया जावें।
– कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जावें कि मूल वाद के निर्णय तक प्रतिवादीगण वादवर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द या अंतरित नहीं करें तथा राजस्व रेकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें।
– अन्य अनुतोष जो वादीगण को [illegible] दिलाया जावें । हर्जा खर्चा मुकदमा आदि दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 11 और 13 से 23 तक ओर से अधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद व्यास का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ जो शा0 फा0 है। प्रतिवादी सं0 12 फौत हो जाने से व वारिसान पहले से रेकार्ड पर होने से नाम विलोपित किया गया। प्रतिवादी सं0 24 से 30 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 03.09.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में वादी नारायण, डालू पिता लालू कीर निवासी कीरखेडा, श्यामलाल पिता हमेर खटीक निवासी हथियाना का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी नारायण द्वारा वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी खाता संख्या 35 संवत् 2011 से 2014 तक प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 68, 65. 66. 47 संवत् 2016 से 2019 तक क्रमशः प्रदर्श–2, 3, 4, 5 नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 तक खाता संख्या 102, 86, 13, 162 क्रमशः प्रदर्श– 6, 7, 8, 9, नकल खसरा किश्तवार खसरा नं0 1181 से 1210 तक संवत् 2012 कुल किता 3 प्रदर्श–10 है। नकल मिलान क्षेत्रफल हाल पैमायश आराजी नम्बर 2281 से 2360 तक कुल किता 2 प्रदर्श–11 है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र व इकबालिया जवाब दावे का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2011–2014 के खाता संख्या 35 में मृत्तक रामा के वारिसान टोलू, हजारी, दला, कासीया, भूरा पिता रामा खटीक निवासी हथियाना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अंकित है। उक्त खातेदारान में से टोलिया उर्फ टोलू लाऔलाद फौत हो गया है, और उक्त आराजीयात के बाकी भाई खातेदार भूरा, हजारी, कासिया, दला का 1/4–1/4 हिस्सा अंकित होना चाहिए था। परन्तु कासिया का 1/4 हिस्सा अंकित नहीं होकर होकमा, हजारी, दला के नाम पर उक्त आराजीयात पृथक–पृथक अंकित कर दी गयी, जिसके प्रमाण में जमाबन्दी संवंत् 2016–2019 संलग्न है, जो प्रदर्श–2, 3, 4, 5 से प्रमाणित है। भूरा पिता रामा के फौत होने के पश्चात उनके वारिस पुत्र होकमा व तेजा थे। मगर भूरा की आराजीयात बडे पुत्र होकमा के नाम दर्ज हो गई फिर होकमा ने अपना हिस्सा भाई तेजा को दे दिया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रतिवादी सं0 1 से 23 से वादी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व जवाब इकबालिया के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन की आराजी 2313 रकबा 0.21 है0, 2314 रकबा 0.27 है0, 2315 रकबा 0.20 है0, 2331 रकबा 0.14 है0, 2336 रकबा 0.12 है0, 2337 रकबा 0.21 है0, 2342 रकबा 0.16 है0, 2343 रकबा 0.14 है0, 2347 रकबा 0.11 है0, आ राजी नम्बर 2334 रकबा 0.22 है0, 2335 रकबा 0.42 है0, 2344 रकबा 0.39 है0, 2345 रकबा 0.17 है0, 2332 रकबा 0.16 है0, 2333 रकबा 0.08 है0, 2338 रकबा 0.08, 2339 रकबा 0.35, 2340 रकबा 0.11 है0, 2341 रकबा 0.06, 2346 रकबा 0.26 है0, 2525 रकबा 0.41 है0, आराजी नम्बर 2312 रकबा 0.23 है0, 2317 रकबा 0.04 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 4.54 है0 को संयुक्त खाते किया जाकर वादीगण का 1/4, प्रतिवादी नं0 1 से 6 तक का 1/4, प्रतिवादी नं0 7 से 11 व 13 से 23 तक का 1/4, प्रतिवादी नं0 24 से 30 तक का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official